बॉन सेकौर्स हेल्थ सिस्टम इन्कॉर्पोरेटड
वित्तीय सहायता सारांश पत्रक

जरूरतमंद लोगों को, उनके भुगतान करने की क्षमता की परवाह किए बिना, सहानुभूतिपूर्ण एवं गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना बॉन सेकौर्स हेल्थ सिस्टम इन्कॉर्पोरेटड बीएसएचएसआई का लक्ष्य है। बीएसएचएसआई बीमाकृत और अबीमाकृत, दोनों प्रकार के मरीजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो हमारे अस्पताल में किसी भी प्रकार की आपातकालीन या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल सेवाएँ प्राप्त करते हैं।

कौन वित्तीय सहायता के लिए योग्य है?

बीएसएचएसआई अपने वित्तीय सहायता नीति ("एफएपी") के तहत एफएपी ऐसे बीमाकृत तथा अबीमाकृत मरीजों हेतु योग्य सेवाओं के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय, वर्तमान संघीय निर्धनता दिशानिर्देशों (एफपीजी) का 200% अथवा कम हो। बीएसएचएसआई ऐसे मरीजों को भी रियायत प्रदान करता है, जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय एफपीजी के 201% से 400% के बीच है। एफएपी के लिए योग्य व्यक्ति या एक अबीमाकृत व्यक्ति से आपात स्थिति या अन्य आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल के लिए एजीबी से अधिक शुल्क नहीं वसूला जाएगा। बीएसएचएसआई ऐसे अबीमाकृत मरीजों को छूट देता है, जो वित्तीय सहायता के लिए योग्य नहीं है।

वित्तीय सहायता के लिए आवेदन किस प्रकार करें?

ऐसे व्यक्ति अपनी आपातकालीन एवं आवश्यक चिकित्सकीय देखभाल सेवाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु अनुरोध कर सकते हैं, जो इनका भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने हेतु मरीज (या उसके परिवार के सदस्य या अन्य प्रदाता) को वित्तीय सहायता आवेदन पत्र भरना चाहिए। ग्राहक सेवा (स्थानीय) 804-342-1500 या 877-342-1500 (टोल फ्री) पर कॉल करें। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र और एफएपी की प्रतियाँ निःशुल्क प्राप्त करने के लिए अपने अनुरोध बॉन सेकौर्स वित्तीय सहायता कार्यक्रम, पी.ओ. बॉक्स 742431 अटलांटा जीए, 30374-2431 पर भेजें। और अंत में, वित्तीय सहायता आवेदन और एफएपी की प्रतियाँ निःशुल्क प्राप्त करने के लिए हमारे वेबसाइट www.fa.bonsecours.com पर जाकर इसकी प्रति डाउनलोड करें।

वित्तीय सहायता हेतु आवेदन पत्र भरने में मुझे कहाँ से मदद मिल सकती है?

जिन व्यक्तियों को वित्तीय सहायता आवेदन पत्र को पूरा करने में मदद की जरूरत है, वे ऊपर दिये गए फोन नंबरों पर ग्राहक सेवा विभाग से बात कर सकते हैं।

<u>कौन-कौन सी सेवाएँ इसमें शामिल की गई हैं?</u>

सभी आपातकालीन चिकित्सकीय आवश्यक सेवाएँ, आउट पेशेंट सेवाएँ, इनपेशेन्ट केयर, और आपातकालीन कक्ष सेवाएँ इस एफएपी के अंतर्गत आते हैं। वैकल्पिक गैर-आवश्यक चिकित्सकीय प्रक्रियाएँ, जैसे कि कॉस्मेटिक और नियत दर के तहत आने वाली प्रक्रियाएँ, तथा ऐसे बीमाकृत मरीज जो अपने बीमा का उपयोग नहीं करना चाह रहे हैं, स्थायी चिकित्सकीय उपकरण, घर पर की गई देखभाल, दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रदान की गई सेवाएँ इस वित्तीय सहायता कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं। यदि दुर्घटना के परिणामस्वरूप प्रदान की गई सेवाएँ तीसरे पक्ष द्वारा कवर नहीं गई हैं, तो मरीज वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएसएचएसआई में सेवाएँ प्रदान करने वाले ऐसे डॉक्टरों और विशेषज्ञों के प्रभार, जो बीएसएचएसआई द्वारा नियोजित नहीं हैं, और ये बीएसएचएसआई के वित्तीय सहायता कार्यक्रम का सम्मान नहीं कर सकते हैं। आपको सेवा प्रदान करने वाला डॉक्टर बीएसएचएसआई वित्तीय सहायता कार्यक्रम में शामिल है या नहीं, इसे जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर के साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर हमारी वेबसाइट www.fa.bonsecours.com पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

<u>यदि मुझे आवेदन को पूरा करने के बारे में कुछ पूछना हो या सहायता की जरूरत हो, तो मुझे क्या करना होगा?</u>

अगर आपको सहायता की जरूरत है, तो आप हमारे अस्पतालों में मौजूद वित्तीय सलाहकार या कैशियर से संपर्क कर सकते हैं, या फिर इसके लिए ग्राहक सेवा (स्थानीय) को 804-342-1500 पर कॉल करके या 877-342-1500 (टोल फ्री) पर कॉल करें। हमारे अस्पताल के पंजीकरण क्षेत्रों में जाकर या फिर हमारे अस्पतालों में मौजूद वित्तीय सलाहकार या कैशियर से मिलकर भी सहायता प्राप्त की जा सकती है। गैर-अंग्रेजी भाषी मरीजों के लिए इस दस्तावेज के अनुवाद के अलावा एफएपी और वित्तीय सहायता आवेदन पत्र के अनुवाद कई अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध हैं, जिसमें अंग्रेजी और स्पेनिश भी शामिल है।उपरोक्त नंबरों पर कॉल करें या सरल भाषा में सारांश प्रपत्र, बीएसएचएसआई एफएपी, वित्तीय सहायता आवेदन पत्र के अनुवाद को डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट www.fa.bonsecours.com पर जाएँ।